



2026: AHC: 22688-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - **258/2026**

शफीक अहमद याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मुकेश जोशी, सुधाकर यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जगदीश पाठक (स्थायी अधिवक्ता)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका, जो कथित रूप से जनहित में है, अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है कि वे प्रतिवादी संख्या 4 को गाटा संख्या 15 की भूमि पर निर्माण करने से रोकें, जो नगर पंचायत, दानियाल, पोस्ट-दानियाल मुस्तकम, ब्लॉक-स्वार, जिला-रामपुर में स्थित है और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 'बंजर' के रूप में दर्ज है।
2. याचिका के अवलोकन से संकेत मिलता है कि कुछ प्रत्यावेदनों के अलावा, जो स्पष्ट रूप से केवल इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर करने के उद्देश्य से भेजे गए थे, याचिका में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए रिकॉर्ड पर नाममात्र की कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. इसके दृष्टिगत, हमें कथित रूप से जनहित में दायर इस वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है, अतः इसे खारिज किया जाता है, तथा याचिकाकर्ता के लिए कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने का विकल्प खुला छोड़ दिया जाता है।

दिनांक: 3 फरवरी, 2026

मुकेश पाल/ए.के.शुक्ला

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"